



// सूचना //

(पी-एच.डी. शोध शुल्क के संबंध में दिशा-निर्देश)

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-45 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय शोध केन्द्रों को पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना पत्र क्रमांक 90/अका. /शोध/2018, दुर्ग, दिनांक 05/09/2018 एवं नवीन अधिसूचना क्रमांक 563/अका./शोध/2020, दुर्ग, दिनांक 13/01/2020 जारी कर पी-एच.डी. में प्रवेशित शोधार्थियों से लिये जाने वाली शुल्क की जानकारी स्पष्ट उल्लेखित किया गया था।

उपरोक्तानुसार समस्त महाविद्यालय शोध केन्द्रों में पी-एच.डी. शोधार्थियों से लिये जाने वाली शोध शुल्क के संबंध में यह पाया गया है कि अधिकांश शोध केन्द्र अध्ययनरत पी-एच.डी. शोधार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रति छः माही शोध शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क जैसे-जनभागीदारी शुल्क/ग्रंथालय शुल्क/परीक्षा शुल्क/नामांकन शुल्क/अन्य शुल्क लिया जा रहा है। अतएव समस्त महाविद्यालय शोध केन्द्रों को यह निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क के संबंध में जारी अधिसूचना अनुसार केवल छःमाही शोध शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का शुल्क ना लिया जावे और नाही किसी शोध निर्देशक द्वारा शोधार्थी से कोई शुल्क का मांग की जाये। यह भी कि उक्त सूचना का यदि उल्लंघन पाया जाता है तो विश्वविद्यालय के विनियम क्रमांक 107 और उक्त अध्यादेश के प्रावधान अनुसार संबंधित महाविद्यालय शोध केन्द्र और शोध निर्देशक की मान्यता समाप्त करने संबंधी कार्यवाही की जा सकती है ऐसी स्थिति में संबंधित शोध केन्द्र/शोध निर्देशक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- नोट: 1. समस्त पी-एच.डी. शोधार्थियों को भी उक्त पत्र द्वारा यह निर्देशित किया जाता है वे शोध शुल्क के संबंध में जारी अधिसूचना में उल्लेखित शुल्क के अतिरिक्त शोध केन्द्र में कोई अन्य शुल्क जमा न करे।
2. शोधार्थी संबंधित शोध निर्देशक को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देंगे। यदि किसी शोध केन्द्र/शोध निर्देशक द्वारा अतिरिक्त शुल्क की मांग की जाती है तो इसकी सूचना विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से लिखित में देवें।
3. पी-एच.डी. शोध शुल्क के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी अकादमिक विभाग के पी-एच.डी. सेल से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है।


कुलसचिव

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

01. प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र, को सूचनार्थ की पी-एच.डी. शोध निर्देशक/शोधार्थियों को सूचना से अनिवार्य रूप से अवगत कराने का कष्ट करें
02. समस्त शोध निर्देशको हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ।
03. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ अग्रेषित।
05. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ अग्रेषित।
06. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने सूचनार्थ।


सहायक कुलसचिव

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)



हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359400

क्रमांक 563/अका./शोध/2020

दुर्ग, दिनांक : 13 / 01 / 2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-45 के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद द्वारा दिनांक 24/07/2019 को लिए गये निर्णय के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शोध केन्द्रों एवं शोधार्थियों के लिए पी-एच.डी./डी. लिट./डी. एससी हेतु समेकित शुल्क संरचना निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है -

क्र.	विवरण	शुल्क राशि
1	शोध केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन शुल्क	5000.00 रु.
2	शोध केन्द्र वार्षिक शुल्क	3000.00 रु. प्रति विषय
3	प्रवेश शुल्क	शोध केन्द्र द्वारा निर्धारित
4	शोध शिक्षण शुल्क (प्रयोगशाला वाले विषयों के लिये)	7500.00 रु. प्रति छः माह
5	शोध शिक्षण शुल्क (बिना प्रयोगशाला वाले विषयों के लिये)	5000.00 रु. प्रति छः माह
6	विलंब शुल्क	200.00 रु. प्रतिमाह
7	सुरक्षा निधि (शोध केन्द्र पर)	2000.00 रु. एक बार एवं वापसी योग्य
8	पंजीयन शुल्क (पी-एच.डी.)	1500.00 रु.
9	पंजीयन शुल्क (डी.लिट/डी.एससी.)	5000.00 रु.
10	छः माही प्रगति प्रतिवेदन शुल्क	250.00 रु.
11	छः माही प्रगति प्रतिवेदन शुल्क विलंब शुल्क	100.00 रु. प्रति माह
12	समय वृद्धि शुल्क (पी-एच.डी.)	1500.00 रु.
13	पूर्ण पंजीयन शुल्क (पी-एच.डी.)	2000.00 रु.
14	समय वृद्धि शुल्क (डी. लिट/डी. एससी.)	2000.00 रु.
15	पूर्ण पंजीयन (डी. लिट/डी. एससी.)	3000.00 रु.
16	नामांकन सत्यापन शुल्क	20.00 रु.
17	शोध ग्रंथ मूल्यांकन शुल्क (पी-एच.डी.)	5000.00 रु.
18	शोध ग्रंथ द्वितीय मूल्यांकन शुल्क (पी-एच.डी.)	1000.00 रु.
19	शोध ग्रंथ मूल्यांकन शुल्क (डी. लिट/डी. एससी.)	10000.00 रु.
20	शोध ग्रंथ द्वितीय मूल्यांकन शुल्क (डी. लिट/डी. एससी.)	1600.00 रु.
21	विश्वविद्यालय ग्रंथालय शुल्क	600.00 रु. प्रति वर्ष
22	विश्वविद्यालय ग्रंथालय सुरक्षा शुल्क	600.00 रु. एक बार एवं वापसी योग्य
23	विश्वविद्यालय ग्रंथालय विकास शुल्क	125.00 रु.

टीप - महाविद्यालय शोध केन्द्रों में अध्ययनरत शोधार्थियों द्वारा छः माही शोध शुल्क का 50 प्रतिशत राशि शोध केन्द्र में तथा 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय में देय होगा। सभी छःमाही शुल्क छःमाही अवधि के प्रारंभ में जमा किया जाना है। विलंब होने पर प्रतिमाह रु. 200.00 विलंब शुल्क देय होगा।

कुलसचिव

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : 13 / 01 / 2020

पृ. क्रमांक 564/अका./शोध/2020

प्रतिलिपि-

1. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/शोध केन्द्र, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
2. वित्त अधिकारी, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, (छ.ग.)।
3. उप कुलसचिव गोप./परीक्षा, सहायक कुलसचिव स्थापना/विकास, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)।
4. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक को कुलपति जी एवं कुलसचिव के समक्ष सूचनार्थ रखे जाने हेतु।

सहायक कुलसचिव (अका.)

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, (छ.ग.)